पर्यावरण संबंधी पहलुओं के संबंध में छमाही प्रगति रिपोर्ट

(अक्टूबर-2022 से मार्च-2023)

परियोजना का नाम सुबनिसरी लोअर जल-विद्युत् परियोजना (2000 मेगावाट) जल-विद्युत् परियोजना की किस्म जल-विद्युत् परियोजना जल-विद्युत परियोजन			(अक्टूबर-2022 स माच-2023)
प्रियोजना की किस्म स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या और तारीख क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति - पत्र सं. जे-12011/40/2001-आईए-।, दिनांक 16.7.2003 ख) वन संबंधी स्वीकृति - पत्र सं. जे-12011/40/2001-आईए-।, दिनांक 16.7.2003 ख) वन संबंधी स्वीकृति - पत्र सं. 8-9-26/2000/आरओ-एनई-एपी/2906-8, दिनांक 03.01.2002 ii) पत्र सं. 8-100/2002-एफसी, दिनांक 12.10.2004 iii) पत्र सं. 3-एएस सी059/2006-एसएचआई/2484-86 दिनांक 11.01.2008 क) कामले (भूतपूर्व - लोअर सुबनिसरी) व धीमाजी ख) अरुणाचल प्रदेश व असम ग) 27°32' 43° 3° to 27° 33' 20° उ° 19 94° 15' 05° पू° to 94° 15' 43″ पू° जर्मित से सहित) का प्रांची लिम्टेड, पोस्ट - गेरुकामुख, जिला धीमाजी, असम, पिन कोड अरित से संवित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन केड और टेलीफोन ने : 03752-269321 केक्स नं: 03752-269321 केक्स नं: 03752-269215 कार्यपालक निदेशक प्रयांचल एवं विविधता प्रबंधन विभाग, निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन ने : 03752-269321 केक्स नं: 03752-269321 केक्स	1	परियोजना का नाम	सुबनसिरी लोअर जल-विद्युत् परियोजना (2000
स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या और तारीख क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति - पत्र सं. जे-12011/40/2001-आईए-।, दिनांक 16.7.2003 ख) वन संबंधी स्वीकृति - पत्र सं. जे-12011/40/2001-आईए-।, दिनांक 16.7.2003 ख) वन संबंधी स्वीकृति - पत्र सं. के-12001/40/2002-एफसी, दिनांक 12.10.2004 पत्र सं. 8-100/2002-एफसी, दिनांक 12.10.2008 को जामले (भृतपूर्व - लोअर सुबनसिरी) व धीमाजी ख) अरुणाचल प्रदेश व असम मा 27° 32′ 43″ उ॰ to 27° 33′ 20″ उ॰ to पत्र-व्यवहार का पता को संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित) कार्यापालक निदेशक, सुबनसिरी लोअर जलविद्युत् परियोजना, एनएचपीसी लिमिटेड, पोस्ट - गेरुकामुख, जिला धीमाजी, असम, पिन कोड 787 035 टेलीफोन नं: 03752-269321 फैक्स नं: 03752-269321			,
और तारीख क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति ख) वन संबंधी स्वीकृति ा) पत्र सं.8-9-26/2000/आरओ-एनई-एपी/2906-8, दिनांक 03.01.2002 ii) पत्र सं. 8-100/2002-एफसी, दिनांक 12.10.2004 #21-10.2004 #3 उ-एएस सी059/2006-एसएचआई/2484-86 दिनांक 11.01.2008 #4 स्थान क) जिला (जिल) ख) राज्य ग) अक्षांश्र ग) 27° 32′ 43″ 3° to 27° 33′ 20″ 3° घ) देशांतर #5 पत्र-व्यवहार का पता क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स नम्बर सहित) #5 पत्र-व्यवहार का पता क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स नम्बर सहित) #6 प्रांचित परियोजना प्रमुख का पता विवरण #7 परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का #7 परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का #6 विवरण #6 प्रांचित संबंधी स्वीकृति • प्रमंबंधी स्वीकृति • प्रमंबंधी स्वीकृति • प्रमंबंधी स्वीकृति • प्रमंबधी संवीकृति • प्रमंबधी संवीकृति • प्रमंख ने संवधी संवीकृति • प्रमंख ने संवधी संवधिक्रित • प्रमंख ने संवधी संवधिक्रित • प्रमंख प्रसंख ने विवरण प्रमंख ने विवरण #7 परियोजना संत्र का विवरण (भूमि का #7 परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का #7 पर्यावरण संवंधी स्वीकृति • प्रमंखधी स्वीकृति • प्रमंखी संवधिक्रित • प्रमंखी संवधिक्रित • प्रमंखी संवधिक्रित • प्रमंख ने अ-100/2002-एफसी, दिनांक #8 = 100/2002-एफसी, दिनांक #8 = 100/2002-एफरी, विवर्ध #8 = 100/2002-एफ			जल-विद्युत् परियोजना
क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति ख) वन संबंधी स्वीकृति ा) पत्र सं. 8-9-26/2000/आरओ-एनई-एपी/2906-8, दिनांक 03.01.2002 ii) पत्र सं. 8-100/2002-एफसी, दिनांक 12.10.2004 iii) पत्र सं. 3-एएस सी059/2006-एसएचआई/2484-86 दिनांक 11.01.2008 4 स्थान क) जिला (जिले) ख) राज्य ग) अक्षांश घ) देशांतर 5 पत्र-व्यवहार का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स नम्बर सहित) ख) भिगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन नं: 03752-269321 फैक्स नं:: 03752-269315 कार्यालक निदेशक पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग, निगम मुख्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद (हरियाणा) पिन कोड-121 003 फोन: 0129-2254674 संलम्क - 1 के रूप में संलम्न ।	3		
ख) वन संबंधी स्वीकृति i) पत्र सं.8-9-26/2000/आरओ-एनई-एपी/2906-8, दिनांक 03.01.2002 ii) पत्र सं. 8-100/2002-एफसी, दिनांक 12.10.2004 iii) पत्र सं. 3-एएस सी059/2006-एसएचआई/2484-86 दिनांक 11.01.2008 4 स्थान क) जिला (जिले) ख) राज्य ग) अक्षांश ग) 27° 32′ 43″ उ° to 27° 33′ 20″ उ° घ) देशांतर 5 पत्र-व्यवहार का पता क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स नम्बर सहित) ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन नं: 03752-269215 ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन नं: 03752-269215 कार्यपालक निदेशक ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन नं: 03752-269321 फैक्स नं:: 03752-269321 फैक्स नं:: 03752-269415 कार्यपालक निदेशक पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग, निगम मुख्यालय, एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद (हिरियाणा) पिन कोड-121 003 फोन: 0129-2254674 संलग्नक -। के रूप में संलग्न ।		क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति	- पत्र सं. जे-12011/40/2001-आईए-।, दिनांक
क) जिला (जिले) ख) राज्य ग) अक्षांश घ) देशांतर प्रत-व्यवहार का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स नम्बर सिहत) ख) नगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सिहत) ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सिहत) कार्यपालक निदेशक च्यां प्रतेश का प्रतेश प्रतेश प्रवेश कार्यपालक निदेशक च्यां प्रतेश कोड नविश्वा प्रवेशन विभाग, जसम, पिन कोड नविश्वा प्रवंधन विभाग, जसम, पिन कोड नविश्वा प्रवंधन विभाग, जसम, पिन कोड नविश्वा प्रवंधन विभाग, निगम मुख्यालय, एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद (हरियाणा) पिन कोड-121 003 फोन: 0129-2254674 संलग्नक -। के रूप में संलग्न । विवरण ग्रियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का चिवरण खे अरुणाचल प्रदेश व असम ग, 27° 32' 43" उ° to 27° 33' 20" उ° घ) 94° 15' 05" पू॰ to 94° 15' 43" पू॰ जियंपालक निदेशक , प्रांचर - गेरुकामुख, जिला धीमाजी, असम, पिन कोड 787 035 टेलीफोन नं: 03752-269321 केक्स नं:: 03752-269321 केक्स नं:: 03752-269321 केक्स नं:: 03752-269321		ख) परा राजपा रपापृगत	i) पत्र सं.8-9-26/2000/आरओ-एनई-एपी/2906-8, दिनांक 03.01.2002 ii) पत्र सं. 8-100/2002-एफसी, दिनांक 12.10.2004 iii) पत्र सं. 3-एएस सी059/2006-एसएचआई/2484-
ख) राज्य ग) अक्षांश घ) देशांतर पत्र-व्यवहार का पता क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स नम्बर सहित) को नगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन नेविशक) ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन नेविशक) स्वानिसरी लोअर जलविद्युत् परियोजना, एनएचपीसी लिमिटेड, पोस्ट - गेरुकामुख, जिला धीमाजी, असम, पिन कोड 787 035 टेलीफोन नें: 03752-269321 फैक्स नें: 03752-269321 फैक्स नं: 03752-269321 कार्यपालक निदेशक पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग, निगम मुख्यालय, एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद (हरियाणा) पिन कोड-121 003 फोन: 0129-2254674 संलग्नक -। के रूप में संलग्न । विवरण ग परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का	4	स्थान	
ग) अक्षांश		क) जिला (जिले)	क) कामले (भूतपूर्व - लोअर सुबनसिरी) व धीमाजी
घ) देशांतर घ) 94° 15′ 05″ पू° to 94° 15′ 43″ पू° पत्र-व्यवहार का पता क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स नम्बर सिहत) ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सिहत) ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सिहत) कार्यपालक निदेशक पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग, निगम मुख्यालय, एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद (हरियाणा) पिन कोड-121 003 फोन: 0129-2254674 संलग्नक -। के रूप में संलग्न ।		ख) राज्य	ख) अरुणाचल प्रदेश व असम
 पत्र-व्यवहार का पता क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स नम्बर सिहत) ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सिहत) ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सिहत) कार्यपालक निदेशक पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग, निगम मुख्यालय, एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद (हिरयाणा) पिन कोड-121 003 फोन: 0129-2254674 पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण प्रवंधन योजनाओं का विवरण परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का कुल भूमि: 4035.56 हैक्टेयर 		T	ग) 27° 32′ 43″ उ° to 27° 33′ 20″ उ°
क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स नम्बर सहित) कार्यपालक निदेशक, सुबनिसरी लोअर जलविद्युत् परियोजना, एनएचपीसी लिमिटेड, पोस्ट - गेरुकामुख, जिला धीमाजी, असम, पिन कोड 787 035 टेलीफोन नं: 03752-269321 फैक्स नं.: 03752-269215 कार्यपालक निदेशक पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग, निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित) कार्यपालक निदेशक पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग, निगम मुख्यालय, एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद (हरियाणा) पिन कोड-121 003 फोन: 0129-2254674 संलग्नक -। के रूप में संलग्न ।		घ) देशांतर	ਬ) 94° 15′ 05" पू° to 94° 15′ 43" पू°
ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सिहत) पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग, निगम मुख्यालय, एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद (हरियाणा) पिन कोड-121 003 फोन: 0129-2254674 6 पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का संलग्नक -। के रूप में संलग्न । विवरण 7 परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का कुल भूमि : 4035.56 हैक्टेयर	5	क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स	सुबनिसरी लोअर जलविद्युत् परियोजना, एनएचपीसी लिमिटेड, पोस्ट - गेरुकामुख, जिला धीमाजी, असम, पिन कोड 787 035 टेलीफोन नं: 03752-269321
विवरण 7 परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का कुल भूमि : 4035.56 हैक्टेयर		विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और	पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग, निगम मुख्यालय, एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद (हरियाणा) पिन कोड-121 003
	6		संलग्नक -। के रूप में संलग्न ।
विवरण) क) वन भूमि : 3436 हैक्टेयर	7	परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का	
		विवरण)	क) वन भूमि : 3436 हैक्टेयर

	क) जलमग्न क्षेत्र:	(3071 हैक्टेयर वन भूमि अरुणाचल प्रदेश में और
	(वन क्षेत्र और गैर-वन क्षेत्र)	365 हैक्टयर असम में)
	(यन पात्र आर गर-यन पात्र)	गैर-वन क्षेत्र: शून्य
		ख) वन क्षेत्र: 594.56 हैक्टेयर
	ख) अन्य	निजी भूमि: 5.40 हैक्टेयर
8	जिन लोगों ने केवल घर/निवास खोए	प्रभावित परिवारों की कुल संख्या : 77
0	हैं, केवल कृषि भूमि खोई है, निवास	परियोजना से प्रभावित परिवार पश्चिम सिंयाग जिला,
	और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं तथा	अरुणाचल प्रदेश के गेंगी और सिबराइट नामक दो
	C C C	गांवों के हैं तथा जलमग्नता के अधीन आने वाले वन
	भूमिहीन मजदूरों/दस्तकारों की गणना सहित परियोजना से प्रभावित आबादी	भूमि के कुछ हिस्से पर इन परिवारों द्वारा खेती की
		Ci
	का विवरण	जाती है।
	क) अनु.जा./अनु.ज.ज./आदिवासी	अनु.जा./अनु.ज.ज./आदिवासी : 77 (परियोजना से
	1 / 13.5, 13.5	प्रभावित सभी परिवार
		अनुसूचित जनजाति से
	ख) अन्य	संबंधित हैं।)
	G.,	अन्य : शून्य
9	वित्तीय ब्यौरा	
	क) परियोजना की लागत, जैसीकि	क) सीसीइए स्वीकृत लागत: 6285.33 करोड़ रुपये
	आरम्भ में आयोजना की गई थी, और	(दिसम्बर, २००२ मूल्य स्तर पर)
	बाद के संशोधित अनुमान तथा मूल्य	आरसीई : 21247.54 करोड़ रुपए (पूर्णता स्तर
	। संदर्भ का वर्ष	पर)
	ख) परियोजना पर अब तक हुआ	ख) 19219.087 करोड़ रुपये (अनंतिम, दिनांक
	वास्तविक खर्च	31.03.2023 तक)
	ग) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए	
	किए गए आवंटन	ग) 8012.69 लाख रुपये, सीसीईए के अनुसार
		(इसमें 13754.00 लाख रुपए आर. एण्ड आर.,
	घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर	आर. एण्ड पी. और एनपीवी के प्रति किया गया खर्च
	अब तक हुआ वास्तविक खर्च	शामिल नहीं है)
		घ) 11053.69 लाख रुपये (दिनांक 31.03.2023 तक)
		(इसमें आर.एण्डआर., आर.एण्ड पी.और एन पी वी
		के प्रति किया गया खर्च शामिल नहीं है)
		आर. एण्ड आर. व आर. एण्ड पी. और एनपीवी के प्रति
		अब तक हुआ खर्च 52926.71 लाख रुपये है।
		(कुल आवंटन, पर्यावरण प्रबंधन योजना तथा अन्य
		योजनाओं के अंतर्गत किए गए खर्च का ब्यौरा
		संलग्नक-। के रूप में संलग्न है।)
10	वन भूमि की आवश्यकताएं	
		वन भूमि गैर-वन्य निम्निलिखित द्वारा
	क्) वन् भूमि को गैर-वन भूमि के रूप	का _ उपयोग स्वीकृति दी गई
	में उपयोग के लिए अपवर्तन के	अपवर्तन

	अनुमोदन की स्थिति	(है.)			
		अरुणाचल	। प्रदेश		
		04.80	पहुंच	पर्यावरण और वन	
			सडक का	मंत्रालय के उत्तर-	
			निर्माण	पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय	
				का पत्र सं.8-9-26/	
				2000/आरओ-एनई-	
				पी/2906-8, दिनांक	
				03.01.2002	
		3183.00	परियोजना		
			का	मंत्रालय का पत्र सं.	
			निर्माण	8-100/2002-	
				एफसी, दिनांक	
				12.10.2004	
		असम	1		
		816.30	परियोजना	पर्यावरण और वन	
			का	मंत्रालय का पत्र सं.	
			निर्माण	8-100/2002-	
				एफसी, दिनांक	
				12.10.2004	
		26.46	परियोजना	पर्यावरण और वन	
			के निर्माण	मंत्रालय का पत्र सं.	
			के लिए	3-	
			अतिरिक्त	एएससी059/2006-	
			भूमि	एसएचआई/2484-	
	ख) वन भूमि में पेड़ों की कटाई के			86, दिनांक	
	संबंध में स्थिति			11.1.2008	
		ख) मार्च 2	.023 तक स्	पुबनसिरी लोअर जल वि	वेद्युत
		परियोज•	ना द्वारा वन	न विभाग, अरुणाचल	प्रदेश
				भुगतान के रूप में	
		•		भो, बेंदरदेवा को ३३.६८	•
				्र लिकाबाली को ४.५५ 🏻	
				किया जा चुका है, ज	
				र क्षेत्र (वन विभाग, अरु	
			•	में गिरने वाले पेड़ों की	_
				नित राशि ४०.२९ क्रोड़	
				र 2021 के महीने से पे	
			टाइ का कार	र्ग आरंभ हो चुकी है औ	ार यह
		जारी है।			
11	निर्माण की स्थिति		T 04 04 00	205	
	क) आरम्भ करने की तारीख	क) वास्पाव 	क: 01.01.20	JU5	
	(वास्तविक और/अथवा आयोजना की				
	गई)				

	ख) पूरा होने की तारीख (वास्तविक और/अथवा आयोजना की गई)	ख) आयोजना : वर्ष 2023 के अंत तक
12	विलम्ब के कारण (यदि परियोजना अभी आरम्भ की जानी है)	परियोजना निर्माणाधीन है। हालांकि, बांध-विरोधी सिक्रयतावादियों द्वारा आंदोलन करने एवं एनजीटी के समक्ष कानूनी मुद्दों के लंबित रहने के कारण दिसंबर 2011 से विस्तृत निर्माण कार्य रुका हुआ था। वर्तमान समय में माननीय एनजीटी के आदेश दिनांक 31.07.2019 द्वारा उक्त मामले की बर्खास्तगी के साथ ही परियोजना पर निर्माण कार्यों को अक्टूबर 2019 से पुनः चालू किया गया है।
13	स्थल के दौरों का ब्यौरा	
	क) मानीटरिंग समिति द्वारा	क) बहु-अनुशासनात्मक निगरानी समिति (एमडीएमसी) की 10वीं बैठक दिनांक 11 से 12 नवंबर 2021 के दौरान आयोजित होकर सम्पन्न हुई।
	ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा	ख) एकीकृत क्षेत्रीय से अपर निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं सीसी कार्यालय, गुवाहाटी ईसी, एफसी और वन्यजीव मंजूरी की निगरानी के संबंध में ने 21 फरवरी 2023 को परियोजना का दौरा किया एवं परियोजना के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया तथा एनएचपीसी के परियोजना प्रमुख एवं अधिकारियों के साथ बैठकें भी की।
14	पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट	पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा परियोजना को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति देते समय निर्धारित की गई शतीं के अनुपालन की स्थिति संलग्नक-॥ में दी गई है।

संलग्नक-।

सुबनिसरी लोअर जल-विद्युत् परियोजना (2000 मेगा वाट) मार्च 2023 तक पर्यावरण प्रबंधन योजना और अन्य अतिरिक्त योजनाओं के संबंध में किए गए आवंटन और व्यय का विवरण

क्रम सं.	पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का नाम	आवंटित धनराशि (लाख रुपये में)	खर्च (लाख रुपये में)
1	जलग्रहण क्षेत्र उपचार	817.27	817.27
2	क्षतिपूरक वनरोपण	4928.19	8141.75
3	अन्धिकार प्रवेश को रोकने के उपाय	203.30	40.93
4	नदीय मात्स्यिकी के लिए जीवनाधार	580.00	22.50
5	वायु प्रदूषण पर नियंत्रण*	15.00	208.10
6	लैं डंस्केपिंग	50.00	54.90
7	जन स्वास्थ्य/स्वास्थ्य सुपुर्दगी प्रणाली*	488.80	280.82
8	निशुल्क ईंधन/जलाऊ लकड़ी के वितरण के लिए प्रावधान*	10.00	348.55
9	ठोस अवशिष्ट प्रबंधन और स्वास्थ्य-सफाई सुविधाएं	103.40	82.09
10	मलबा निपटान स्थलों का स्थिरीकरण*	323.58	292.39
11	सड़कों के निर्माण के प्रभावों का प्रबंधन	160.00	531.80
12	परियोजना कालोनी में सैटिलिंग टैंकों का निर्माण	9.00	10.00
13	पर्यावरण संबंधी अध्ययन	50.00	85.82
14	आपदा प्रबंधन	150.00	0.00
15	ओ. एंड एम. लागत	124.15	136.77
	उप-जोड (अ)	8012.69	11053.69
अन्य	प्रबंधन योजनाओं के मद में खर्च		
16	पुनर्वास और पुनर्स्थापन के कार्यान्वयन की लागत	8296.39	8267.39
17	स्थानीय लोगों के अधिकार और विशेषाधिकार	5457.50	7504.41
18	स्थानीय युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में दिया गया प्रशिक्षण	0.00	6.72
19	वर्तमान निवल मूल्य (एनपीवी) #	0.00	30177.39
20	सैद्धांतिक वन मेंजूरी पत्र दिनांक 10.06.2003 की शर्त	0.00	3142.66
	के अनुपालन में प्रतिपूरक वनरोपण, जलग्रहण क्षेत्र		
	उपचार योजना आदि के अलावा हमारी विभिन्न		
	वानिकी/वन्यजीव गतिविधियों को चलाने के लिए		
	परियोजना लागत का आधा प्रतिशत राज्य वन विभागों		
	को हस्तांतरित किया गया।		
21	्सैद्धांतिक वन मंज़ूरी पत्र दिनांक 10.06.2003 की श्रातीं	0.00	5.10
	के अनुपालन में एसएफआरआई, अरुणाचल प्रदेश		
	सरकार द्वारा वन्यजीव प्रबंधन योजना तैयार करना।		
22	वन मंजूरी पत्र दिनांक 12.10.2004 की शर्तों के	0.00	3823.04

अनुपालन के अनुसार जलमग्न क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के लिए व्यय।		
उप-जोड (ब)	13753.89	52926.71
कुल जोड़ (अ+ब)	21766.58	63980.40

^{*} लागत अनुबंध समझौते की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा किए गए व्यय भी शामिल है। # कुल राशि 30,000.00 लाख रुपए भारत की सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में और 177.39 लाख रुपए पी सी सी एफ, असम के कार्यालय जमा किया गया है।

संलग्नक-॥ पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति

शर्त संख्या	भाग-क: विशिष्ट शर्तें	अनुपालन की स्थिति
(i)	क) पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना के कार्यान्वयन के लिए मानीटरिंग समिति का गठन ख) ई.एम.पी. रिपोर्ट में	 उपायुक्त (डीसी), पश्चिम सियांग जिला, आलो द्वारा पत्र सं. डब्ल्यूएस/आरईवी-09/27, दिनांक 13.11.2003 द्वारा सिमिति गठित कर ली गई है। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना के कार्यान्वयन की स्थिति "अनुलग्नक- अ" के रूप में संलग्न है।
40	पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना के अनुसार पुनर्वास	
(ii)	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के अनुसार, उपचार के लिए पहचान किए गए 1663 हैक्टेयर जलग्रहण क्षेत्र का तीन वर्षों में उपचार किया जाएगा।	- कैट योजना के कार्यान्वयन का विवरण "अनुलग्नक – ब" के रूप में संलग्न है।
(iii)	कमी वाले मौसम के दौरान बांध के तत्काल ऊर्ध्वप्रवाह में तालाबों में जल का न्यूनतम प्रवाह 6 क्यूमेक्स होगा।	- कमी वाले मौसम के दौरान बांध के डाउनस्ट्रीम की ओर 6 क्यूमेक्स पानी छोड़ने के लिए कंक्रीट बांध संरचना में डिजाइन प्रावधान मौजूद है।
(iv)	जल की गुणवत्ता के विश्लेषण के एक भाग के रूप में कोली फार्म काउंट के मूलभूत आंकड़े आवधिक रूप से एकत्र और मानीटर किए जाएंगे।	गुणवत्ता का नियमित रूप से विश्लेषण किया जा रहा है।
(v)	क्षेत्र के जलमग्न होने से पहले प्रजातियों के स्तर पर आर्किड्स की पहचान की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी कि परपोषी वृक्षों के साथ दुर्लभ आर्किड वनस्पति को कोई खतरा नहीं होता है।	 सुबनिसरी लोअर जल-विद्युत् परियोजना के जलमग्न क्षेत्र में आर्किड्स की पहचान करने से संबंधित अध्ययन रिपोर्ट राज्य वन अनुसंधान संस्थान, ईटानगर द्वारा तैयार किया गया, जिसकी एक प्रतिलिपि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दिसम्बर, 2009 में प्रस्तुत कर दी गई है। रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के अनुसार, कुल दो आर्किडेरिया, जिनमें से एक परियोजना स्थल पर गेरुकामुख में और दूसरा टिप्पी, एसएफआरआई, अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। सुबनिसरी लोअर जल-विद्युत् परियोजना के अंतर्गत गेरुकामुख में स्थापित ऑर्किडेरियम को ऑर्किड रिसर्च सेंटर, टिप्पी और एसएफआरआई, ईटानगर के मार्गदर्शन में इन-हाउस संसाधनों का उपयोग करके पुनर्निर्मित किया

			गया है।
(vi)	प्रस्तावित सुबनिसरी जलाशय के पास एक हैचरी बनाई जानी है। कृत्रिम बीज के उत्पादन और जलाशय और नदी में संग्रहण के लिए प्रवासी मत्स्य के विकास के लिए इस हैचरी में सभी अपेक्षित जलकृषि सुविधाएं होनी चाहिए।	-	पर्यावरण मंजूरी पत्र के अनुपालन में सुबनिसरी जलाशय और नदी में भंडारण के उद्देश्य से प्रवासी मछिलयों के कृत्रिम बीज उत्पादन के विकास हेतु जलीय कृषि सुविधाओं वाले हैचरी के निर्माण के लिए "सुबनिसरी नदी में मछिलयों के प्रवासन का अध्ययन और हैचरी का निर्माण" शीर्षक पर केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई), बैरकपुर, कोलकाता के माध्यम से एक अध्ययन कराया गया, जिसमें सुबनिसरी नदी में उपलब्ध प्रवासी मछिलयों का विवरण और उनके संरक्षण के लिए आवश्यक हैचरी निर्माण का विवरण शामिल है। सीआईएफआरआई, बैरकपुर की रिपोर्ट के अनुसार सुबनिसरी जलविद्युत परियोजना के मत्स्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत महसीर, स्नो ट्राउट और अन्य माइनर कार्प के लिए हैचरी का निर्माण किया जाना है।
		_	मत्स्य पालन प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन हेतु मत्स्य पालन विभाग, अरुणाचल प्रदेश से सम्पर्क किया गया । चर्चा और साइट दौरों के परिणाम स्वरुप मत्स्य पालन विभाग, अरुणाचल प्रदेश द्वारा डीपीआर तैयार करने तथा संबंधित गतिविधि के लिए 25.00 लाख रुपये के अग्रिम भुगतान अनुरोध किया।
		-	मस्य पालन विभाग, अरुणाचल प्रदेश को दिनांक 23.05.2022 को डीपीआर की तैयारी शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में रु.15.00 लाख जारी किए गए।
		_	मत्स्य पालन विभाग, अरुणाचल प्रदेश ने 12.09.2022 को डीसीएफआर, भीमताल से प्राप्त परामर्श परियोजना प्रस्ताव को अवलोकन और स्वीकृति के लिए अग्रेषित किया। परियोजना प्रस्ताव पर एनएचपीसी की टिप्पणियाँ 12.09.2022 को प्रदान की गईं और इसे मत्स्य पालन विभाग, सरकार द्वारा डीसीएफआर, भीमताल को भेज दिया गया।
		_	प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है तथा मत्स्य पालन विभाग, अरुणाचल प्रदेश एवं आईसीएआर-डीसीएफआर, भीमताल के बीच 14 अक्टूबर 2022 को 3 साल के लिए परियोजना के परामर्श हेतु ₹ 43.36 लाख की राशि के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद, ₹ 7.5 लाख की राशि मत्स्य पालन विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार को दिनांक 15.11.2022 को प्रथम वर्ष के लिए अग्रिम के रूप में आईसीएआर-डीसीएफआर को भुगतान

			के लिए जारी किए गए।
(vii)	नदी के स्थानीय जलीय प्राणिजात, विशेष रूप से मत्स्य, घोंघों, झींगों और केंकड़ों का प्रलेखन और उनकी वैज्ञानिक रूप से पहचान की जाएगी। इन जलीय प्रणिजात की उपलब्धता और अन्यथा पर जलाशय के निर्माण में संभव प्रभाव का मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि इन प्राणिजात का दीर्घकालिक संरक्षण किया जा सके और स्थानीय जनता को इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।		डीपीआर तैयारी के अंतिम चरण में है एवं मामला मत्स्य पालन विभाग, अरुणाचल प्रदेश के साथ शीघ्र अनुपालन के लिए सक्रिय अनुनय में है। भारतीय प्राणिजात सर्वेक्षण (जैड.एस.आई.), शिलांग को सुबनिसरी नदी के जलीय प्राणिजात का प्रलेखन और उनकी वैज्ञानिक रूप से पहचान करने का कार्य सौंपा गया था। जैड.एस.आई. द्वारा यह अध्ययन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया और निदेशक, जैड.एस.आई., कोलकाता द्वारा नवम्बर, 2008 में पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई।
(viii)	जलमग्न क्षेत्र के संदर्भ में जैवविविधता और निवास के संरक्षण के संबंध में एक वर्ष का व्यापक अध्ययन किया जाएगा। क्षेत्र में वन्यजीव के प्रवासी मार्गों की पहचान करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।	-	"सुबनिसरी लोअर जल-विद्युत परियोजना के जलमग्न क्षेत्र में पुष्पी पहलुओं का जैवविविधता अध्ययन" का कार्य वनस्पति विज्ञान विभाग, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी के द्वारा किया गया। अंतिम रिपोर्ट दिनांक 15.12.2010 के पत्र द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेज दी गई। इस रिपोर्ट की प्रति नोडल अधिकारी, अरुणाचल प्रदेश राज्य वन विभाग को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे सुबनिसरी लोअर जल-विद्युत परियोजना के क्षतिपूरक वनरोपण कार्यक्रम और जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के अंतर्गत सूचित की गई पादप प्रजातियों के बालवृक्षों का रोपण करने को प्राथमिकता दें जिसके लिए राज्य के वन विभाग को वांछित धनराशि पहले ही उपलब्ध कर दी गई है।
(ix)	अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को न केवल अकुशल श्रेणी में बल्कि चुनिंदा स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण के माध्यम से कुशल बनाने के लिए प्रावधान करके अर्द्धकुशल और कुशल श्रेणियों में भी रोजगार देने के पूरे प्रयास किए जाने चाहिएं।	-	जहां कहीं आवश्यक होता है, स्थानीय लोगों को रोजगार देने के प्रयास किए जा रहे हैं। अबतक एनएचपीसी ने स्थायी श्रेणी के अधीन 190 स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रोजगार के अधीन ठेकेदारों द्वारा असम एवं अरुणाचल प्रदेश के कुल 6773 लोगों को काम पर लगाया गया है।

(x)	जब बांध का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तब ऊर्ध्वप्रवाह में बहाव कम हो जाएगा। विशेष रूप से नदी का रेस टनल में प्रवाह काफी कम हो जाएगा जिससे मच्छरों के प्रजनन में वृद्धि हो सकती है। इस भाग में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए, जल के प्रवाह की न्यूनतम दर 60 से.मी./सें. रखी जानी चाहिए। नदी के इस भाग को उपयुक्त रूप से चेनालाइज किया जाना चाहिए ताकि कोई गड्ढे या पूडल न बन सकें।	-	पत्र संख्या 2/18(ए) 2014-ईओआईए, दिनांक 27.04.2016 और 27.06.2016 के माध्यम से एमओईएफ एवं सीसी के निर्देशानुसार बांध के डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम धारा प्रवाह बनाए रखने के लिए परियोजना के डाउनस्ट्रीम नदी में लीन सीजन के दौरान लगभग 240 क्यूमेक्स का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एक टर्बाइन लगातार चलेगा। पीकिंग की वजह से बैक वाटर लेवल में दैनिक उतार-चढ़ाव के कारण बांध और बिजलीघर के बीच पानी का पर्याप्त प्रवाह उपलब्ध रहेगा।
	मलेरिया/मच्छर प्रजनन की समस्याओं को हल करने के लिए विशिष्ट उपाय इस परियोजना के एक भाग के रूप में करने होंगे। भाग ख: सामान्य शर्तें		अनुपालन की स्थिति
(i)	निर्माण-कार्य में कार्यरत श्रमिकों के लिए परियोजना लागत पर पर्याप्त निशुल्क ईंधन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोका जा सके।		ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को केन्द्रीकृत मेस की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मेस में ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग किया जा रहा है।
(ii)	ईंधन (मिट्टी का तेल/लकड़ी/ एलपीजी) मुहैया करने के लिए स्थल पर ईंधन डिपो खोला जाना चाहिए। श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं और मनोरंजन सुविधाएं दी जानी चाहिए।	-	आवश्यक अनुमित प्राप्त करने के पश्चात् परियोजना क्षेत्र में एक एलपीजी डिपो खोला गया है। प्रमुख ठेकेदार श्रमिकों को अपेक्षित ईंधन, चिकित्सा और मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। एनएचपीसी की गेरुकामुख (असम) एवं दोल्लुन्मुख (अरुणाचल प्रदेश) में सभी कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं।
(iii)	निर्माण-कार्यों में लगाए जाने वाले सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य कार्मिकों द्वारा पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और	-	परियोजना के निर्माण कार्यों से संबंधित ठेकेदारों को अपने मजदूरों को कार्यस्थल पर लाने से पूर्व पूरी तरह से स्वास्थ्य जांच करवाने की सलाह दी गई है। ठेकेदारों के माध्यम से मजदूरों की स्वास्थ्य जांच की स्थिति की नियमित रूप से

	चाहिए।		रही है। इसके अलावा, परियोजना में उपलब्ध अनुभवी डॉक्टरों की टीम के माध्यम से श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच के लिए कार्य स्थलों पर नियमित रूप से चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं।
(iv)	बांध स्थल पर खोदी गई सामग्रियों के फैंकने के स्थल को समतल बनाकर, गड्ढों को भरकर और दृश्यभूमि आदि के द्वारा निर्माण-क्षेत्र का पुनरुद्धार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में उपयुक्त रोपण द्वारा वनरोपण किया जाना चाहिए।	-	निर्माण कार्यों के दौरान निकले मलबे को निर्धारित डिम्पिंग स्थलों पर फैंका जा रहा है। मलबे को बिखरने से रोकने के लिए क्रेट कार्य/आरआरएम कार्य किए गए हैं। ढालान और फैंकी गई सामग्री की ऊपरी सतह पर समानिया समन, चुकरासिया टेबुलिरस, लेजरस्ट्रोमिया स्पीसिओसा, आल्टिन्जिया ऐक्सेल्सा, टिर्मिनेलिया अर्जुन जैसे पौधों की विभिन्न प्रजातियों/ब्रूम सकर जैसी झाड़ियों और कवर क्राप जैसी क्रीपर आदि का रोपण किया गया है ताकि नदी के दाहिने किनारे पर फैंकी गई सामग्री को स्थिर रखा जा सके। वर्तमान समय में नदी के बाएँ किनारे के डंपिंग साइट्स पर डंपिंग की जा रही है।
(v)	सुझाए गए उपर्युक्त उपायों को कार्यान्वित करने के लिए परियोजना के कुल बजट में वित्तीय प्रावधान किया जाना चाहिए।	-	80.12 करोड़ रुपए का प्रावधान सुझाए गए पर्यावरण की रक्षा के उपायों के कार्यान्वयन के लिए "एक्स-पर्यावरण और पारिस्थितिकीय" के अंतर्गत रखा गया था। हालांकि अब तक पर्यावरण और वन से संबंधित कार्यों पर कुल 110.53 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं तथा इसमें ठेकेदारों द्वारा किया गया खर्च भी शामिल है।
(vi)	सुझाए गए रक्षोपायों के कारगर कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए वनविद्या, पारिस्थितिकी, वन्य जीव, मृदा संरक्षण की विभिन्न विधाओं और गैर-सरकारी संगठन आदि के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक बहुविधा समिति गठित की जानी चाहिए।		वानिकी, पारिस्थितिकी, वन्य जीवन, भूमि संरक्षण और गैर- सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि को शामिल कर परियोजना के परिपत्र सं. एनएच/एसएलपी/जीएम/ 55/41, दिनांक 20.04.2004 द्वारा एक बहुविधा समिति का गठन किया गया है।

<u>अनुलग्नक-अ</u>

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएंडआर) योजना के कार्यान्वयन की स्थिति

1. वैपकोस (भारत सरकार के उपक्रम) द्वारा वर्ष 2000-01 में किए गए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, गेंगी गांव से 19 परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) और सिबेराइट गांव से 20 पीएएफ, अर्थात कुल 39 परियोजना प्रभावित परिवारों की पहचान की गई थी।

- 2. इसके बाद वर्ष 2007 में संबंधित डीसी के पत्र संख्या एलएम/डब्लूएस-02/04, दिनांक 03.10.2007 के संदर्भ अनुसार परियोजना प्रभावित परिवारों की सूची को संशोधित कर कुल 77 पीएएफ (गेंगी 38 पीएएफ & सिबेराइट 39 पीएएफ) की सूची तैयार की गई।
- 3. गेंगी और सिबेराइट गाँव के ग्राम बूढा (पंचायत) के साथ दिनांक 05.09.2020 को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन समझौते पर करार हुआ, जिसपर पश्चिम सियांग, एलो जिले के डीसी का विधिवत काउंटर हस्ताक्षरित है, के अनुसार सभी परियोजना प्रभावित परिवारों को पुनर्वास अनुदान राशि 2.5 लाख रुपए प्रति पीएएफ के दर से दिनांक 29.12.2007 को गेंगी गाँव के कुल 38 पीएएफ को कुल राशि 95.00 लाख रुपए एवं दिनांक 22.08.2008 को सिबेराईट गाँव के कुल 39 पीएएफ को कुल राशि 97.50 लाख रुपए का भुगतान किया गया था।
- 4. वर्ष 2009 में कुल 77 परियोजना प्रभावित परिवारों की अचल संपत्तियों के लिए कुल मुआवजा राशि 51.29 करोड़ रुपये पश्चिम सियांग जिले के डीसी को तीन किस्तों में जारी किए गए थे।
- 5. दिनांक 19.07.2010 को एनएचपीसी और आरएंडआर कार्यों के प्रशासक (यानी डिप्टी किमश्नर, पश्चिम सियांग, एलो) के बीच एसएलपी के आरएंडपी कार्यों (पुनर्स्थापन स्थल पर इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना) के निष्पादन के लिए समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- 6. तदनुसार, पुनर्वास स्थल पर आरएंडआर कार्यों के निष्पादन के लिए रुपए 2923.11 लाख की राशि डीसी, वेस्ट सियांग, प्रशासक (आर एंड आर) को वर्ष 2010 16 के दौरान जारी की गई थी।
- 7. दिनांक 07.02.2020 को डिप्टी कमिश्नर (उपायुक्त) कार्यालय, पश्चिम सियांग जिला, एलो द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, निम्नलिखित कार्य आरएंडआर साइटों पर किए गए हैं: दोनों आरएंडआर साइटों में एप्रोच रोड का निर्माण कार्य, पुलिया का निर्माण कार्य, भवन, सामुदायिक भवन, प्राथमिक विद्यालय भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामान्य शौचालय ब्लॉक और खेल के मैदान का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और क्रॉस ड्रेनेज और रिटेनिंग का कार्य तथा डब्ल्यूबीएम और पुल के निर्माण का कार्य अभी प्रगति पर है।
- 8. आरएंडआर कार्यों पर आगे की प्रगति रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय, पश्चिम सियांग, अरुणाचल प्रदेश सरकार से अभी भी प्रतीक्षित है।
- 9. अरुणाचल प्रदेश सरकार की आरएंडआर नीति 2008 के अनुसार, पश्चिम सियांग, लोअर सुबानसिरी और ऊपरी सुबनसिरी जिलों के डिप्टी किमश्नरों को अधिकार और विशेषाधिकार (आरएंडपी) के तहत रुपए 75.04 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है। विस्तृत ब्रेक-अप इस प्रकार है:

	अधिकार और विशेषाधिकार (आर&पी)									
क्रम संख्या भुगतान विवरण राशि (रुपए जिला भुगतान तिथि										
	एलो वन विभाग के 699.65 हेक्टेयर वन भूमि के लिए (i) 316 पीआरएफ @	27753635 9	डिप्टी कमिश्नर,	12-05-2022						

	78000 रुपए/ हेक्टेयर (ii) 383.65	87279619	पश्चिम	22-12-2009
	यूएसएफ @ 1,56000 रुपए/ हेक्टेयर	29093206	सियांग,	21-05-2009
2.	(iii) एनपीवी का 25% @ 9.39 लाख रुपये 383.65 हेक्टेयर यूएसएफ के लिए भुगतान किया गया।	58186412	एलो डिप्टी कमिश्नर ,लोअर सुबनसिरी, जिरो	02-04-2009
	लोवर सुबनसिरी जिले में हापोली वन	37168750		02-04-2009
	विभाग के 475 हेक्टेयर यूएसएफ के लिए एनपीवी का 25% @ 9.39 लाख रुपये तीन किश्तों में भुगतान किया	18584375		21-05-2009
		1261000		21-05-2009
		55753125		22-12-2009
	गया। (निडो और किनो जोकोम कबीले)	3783000		22-12-2009
	लोअर सुबनसिरी जिले के हापोली वन विभाग के 475 हेक्टेयर यूएसएफ के	31398273		18-03-2004
3	लिए रुपए 1,30,000 / हेक्टेयर और 463 हेक्टेयर आरएफ @ रुपए 65000/हेक्टेयर का भुगतान दो किश्तों में किया गया।	60446727		19-01-2005
4	लोअर सुबनिसरी जिले में बांदरदेवा वन विभाग के 508 हेक्टेयर आरएफ के लिए रुपए 65000/हेक्टेयर का भुगतान किया गया।	33000000		21-01-2008
5	लोअर सुबनिसरी जिले में पनिहार वन विभाग के 97 हेक्टेयर आरएफ के लिए रुपए 78000/हेक्टेयर का भुगतान किया गया।	2522000		02-04-2009
6	डापोरिजो वन विभाग के 149.22 यूएसएफ के लिए रुपए 1,30000 प्रति हेक्टेयर भुगतान किया गया।	19400000	डिप्टी कमिश्नर,	25-01-2008
	डापोरिजो वन विभाग के 149.22 यूएसएफ के लिए (एनपीवी का 25%)	11676465	अपर सुबनसिरी,	02-04-2009
7	रुपये @ 9.39 लाख कुल 3 किश्तों में	5838232	दापोरिजो	21-05-2009
	भुगतान किया गया।	17514697		22-12-2009
		75044224		
	कुल	0		

- 10. सामाजिक दायित्व के तहत ग्राम तारामोरी से ग्राम टैंगो तक सड़क की मरम्मत / सुधार के लिए वर्ष 2013-15 के दौरान रुपए 13.89 करोड़ की राशि कुल तीन किश्तों में डिप्टी कमिश्नर वेस्ट सियांग, एलो कार्यालय में जमा किए गए हैं।
- 11. एनएचपीसी और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में लॉ कॉलेज और कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के सचिव (विद्युत) कार्यालय में रुपए 27.00 करोड़ की राशि दिनांक 30.03.2010 को जमा किए गए हैं।

कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट (कैट) योजना के कार्यान्वयन की स्थिति

- 1. बांध स्थल पर सुबनिसरी नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र 34,900 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें लगभग 14,000 वर्ग किमी (40%) तिब्बत में है और 20,900 वर्ग किलोमीटर भारत में है।
- 2. वापकोस द्वारा तैयार किए गए ईएमपी रिपोर्ट के अनुसार कुल 1663 हेक्टेयर को कैचमेंट क्षेत्र के रूप में माना जाता है, जो कि अपरदन इंटेंसिटी दर के 'उच्च' श्रेणी के अंतर्गत आता है। कैचमेंट क्षेत्र उपचार के उपायों का विवरण इस प्रकार है। कैट कार्यों की अनुमोदित लागत रूपये 817.27 लाख है।

क्रम संख्या	उपाय	क्षेत्र
1.	क्षतिपूरक वनीकरण कार्य (नर्सरी विकास सहित)	1247 हेक्टेयर
2.	चरागाह विकास	416 हेक्टेयर
	उप-जोड़	1663 हेक्टेयर
3.	चेक डैम	१५ संख्या

- 3. राज्य वन विभाग के पत्र दिनांक 25.03.2010 के अनुरोध अनुसार, एनएचपीसी के पत्र दिनांक 01.05.2010 द्वारा कैट कार्यों के कार्यान्वयन की दिशा में राज्य वन विभाग को कुल 817.27 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।
- 4. दिनांक 07.06.2011 के आदेशानुसार पीसीसीएफ और प्रमुख सचिव (ईएंडएफ) अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा कैट के कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक सिमिति का गठन किया गया है।
- 5. वापकोस द्वारा तैयार किए गए नक्शे के अनुसार, कैचमेंट क्षेत्र कुल दो वन विभागों में अर्थात हापोली और दापोरीजो क्षेत्र में दर्ज है। वन विभाग क्षेत्र निम्नानुसार है:

गतिविधि	हापोली वन विभाग	डपोरिजो वन विभाग	कुल
क्षतिपूरक	928 हेक्टेयर	319 हेक्टेयर	1247 हेक्टेयर
वनीकरण			
चरागाह विकास	309 हेक्टेयर	107 हेक्टेयर	416 हेक्टेयर
चेक डैम	०७ संख्या	०८ संख्या	१५ संख्या

6. पीसीसीएफ कार्यालय (ए&वी) और नोडल कार्यालय (एफसीए), पर्यावरण और वन विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत कैट कार्यों की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार कुल रु 3.15 करोड़ का कार्य किया गया है।

.....

नोट: यह रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को संबंधित अवधि के लिए भेजे गए अंग्रेजी के रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। भावार्थ में कहीं भी संदेह की स्थिति में अंग्रेजी रिपोर्ट के अर्थ को ही अंतिम माना जाए।